फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
अपील संख्या 253/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/269)
शिवानी जोशी बनाम कन्हैयालाल जोशी व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>16.01.2023</td><td>
उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री बी.एस.राव - वकील अपीलार्थी
2. श्री परमेश्वर पंड्या - वकील प्रत्यर्थी-1,2,4
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-5

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, कपासन, बप्रकरण संख्या 07/2021 निर्णय दिनांक 15.07.2021 (अनवान श्री कृष्णगोपाल व अन्य बनाम सरकार)

<u>निर्णय</u>
दिनांक 16.01.2023
उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, कपासन, बप्रकरण संख्या 07/2021 निर्णय दिनांक 15.07.2021 (अनवान श्री कृष्णगोपाल व अन्य बनाम सरकार) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-
• वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 श्री कन्हैयालाल एवं कृष्णगोपाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कपासन में खाता संख्या 1133 व 1227, 1228 स्थित है, जिसमें श्री मांगीलाल क्रमशः 1/2 हिस्सा व 1/16 बहैसीयत खातेदार दर्ज है। खातेदार श्री मांगीलाल जी का दिनांक 23.03.2019 को देहावसान हो गया है। मृतक श्री मांगीलाल के श्री कन्हैयालाल, कृष्णगोपाल, रमेशचन्द्र व श्रीमती कांता, पुत्र व पुत्री होकर विधिक वारिसान है, जिसके नाम विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करा जावें।
• उक्त आवेदन पर तहसीलदार, कपासन द्वारा प्रकरण दर्ज कर, जिसके नम्बर 07/2021, निर्णय दिनांक 15.07.2021 पारित करते हुए मृतक श्री मांगीलाल पिता सोलाल ब्राहम्ण के बजाय विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश प्रसारित किया।

उक्त निर्णय दिनांक 15.07.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील दिनांक 03.08.2021 को अन्दर मयाद प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

दिनांक 12.01.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान (अपीलार्थी, प्रत्यर्थी-1,2,4,5) उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सूचना अनुपस्थित।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि श्री मांगीलाल के चार पुत्र श्री कन्हैयालाल, कृष्णगोपाल, रमेशचन्द, श्यामसुन्दर एवं पत्नि श्रीमती कांतोदवी है। अपीलार्थी श्री श्यामसुन्दर की गोदपुत्री है जो फोत हो चुके है। श्रीमती मांगीलाल की भी देहावसान हो चुका है। विरासत से नामान्तरकरण हेतु प्रत्यर्थी-1 व 2 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर सुनवाई हेतु अपीलार्थी व रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 को भी नोटिस जारी किये। दौराने सुनवाई अपीलान्ट द्वारा दिनांक 30.12.2019 को विरासत एवं वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का से 12.07.2020, 14.07.2020 व 16.07.2020
</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 253/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/269) **शिवानी जोशी बनाम कन्हैयालाल जोशी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से विरासत व वसीयत से जांच रिपोर्ट तलब की जिस पर पटवारी हल्का ने विस्तृत जांच रिपोर्ट व मौका रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की जिसमें भी अपीलान्ट के पक्ष में मृतक श्यामसुन्दर द्वारा लिखी वसीयत का भी उल्लेख किया गया है। अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित वसीयत अन्तिम होकर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है। इस वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में नामान्तरकरण खोलने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में न कोई सुनवाई की गई, न ही वसीयत का परिक्षण किया गया, न गवाहों को तलब किया गया और वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद प्रत्यर्थी-1 व 2 ने पुनः विरासत से नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आवेदन किया जिस पर प्रकरण संख्या 07/2021 दर्ज कर प्रत्यर्थी-3 व 4 को नोटिस जारी किया गया परन्तु अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और विरासत से नामान्तरकरण पारित करने का अवैधानिक आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल न्यायालय के प्रकरण में अचल सम्पत्ति में कृषि भूमि का अंकन नहीं होने से हिन्दु उत्तराधिकार विधिक के तहत मृतक मांगीलाल के विरासतन नामान्तरण खोलने का गलत आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मांगीलाल द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित पत्र दिनांक 10.04.2018 पर गौर नहीं किया गया जिसमें वसीयत के निष्पादित होने के संबंध में अंकन किया गया है। मृतक श्यामसुन्दर के हक व हिस्से की आराजीयात पर अपीलान्ट का कब्जा होकर काश्त कर रही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2021 को खारिज फरमाया जावें। **अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस के खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1,2,4 ने अपनी मौखिक एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया कि** कि अपीलार्थीया शिवानी श्री मांगीलाल के पुत्र श्री रमेशचन्द्र की पुत्री है। अपीलार्थीया द्वारा उसे श्री श्यामसुन्दर के गोद जाना बताया है, जबकि वह श्री रमेशचन्द्र की एकमात्र पुत्री होने से एकल पुत्री का गोद जाना प्रावधनित नही है। न ही गोद जाने के कोई दस्तावेजी साक्ष्य है। हस्तगत प्रकरण में जो वसीयत प्रस्तुत की गई थी, वह अपंजीकृत है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता, वसीयत फर्जी है, उस पर श्यामसुन्दर के हस्ताक्षर भी नहीं है। श्री श्यामसुन्दर की मृत्यु श्री मांगीलाल के फौत होने से पूर्व ही हो चुकी थी, उस समय उसके नाम कोई सम्पत्ति नहीं थी, तो वसीयत करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अपीलार्थीया द्वारा पूर्व में तहसीलदार, कपासन समक्ष वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसके प्रकरण संख्या 09/2020 होकर निर्णय दिनांक 02.03.2021 से आवेदन निरस्त किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में सभी वारिसान को सुनकर निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 02.03.2021 के विरूद्ध कोई अपील व वाद दायर नहीं किया गया, जिससे वह निर्णय अंतिम है। श्री श्यामसुन्दर ने कोई वसीयत नहीं की तथा तहसीलदार, कपासन द्वारा वारिसान के आधार पर नामान्तरकरण आदेश दिया जो बिल्कुल नियमानुसार पारित किया गया है, जिस चुनौती देने का अपीलार्थी को कोई अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.07.2021 यथावत रखा जावें। **प्रत्यर्थी-5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार** द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि श्री कन्हैयालाल व कृष्णगोपाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-135(2) भू-राजस्व अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत कर श्री मांगीलाल के फौत होने से विरासत के आधार पर इन्तकाल खोलने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 253/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/269) **शिवानी जोशी बनाम कन्हैयालाल जोशी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का अनुरोध किया। उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए तहसीलदार, कपासन द्वारा निर्णय दिनांक 15.07.2021 पारित किया जिससे व्यथीत होकर अपीलार्थी शिवानी जोशी द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। पत्रावली न्यायालय की पत्रावली में पृष्ठ संख्या 12 व 13 पर उपलब्ध प्रकरण संख्या 02/2020 में तहसीलदार, कपासन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.03.2021 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीया सुश्री शिवानी द्वारा श्री श्यामसुन्दर द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित की गई अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण बाबत आवेदन किया। उक्त आवेदन में मूल पुरूष श्री मांगीलाल के वारिसानों को भी पक्षकार संयोजित कर सुना गया, उनके द्वारा वसीयत पर आपत्ति जाहिर की गई। सुश्री शिवानी के अधिवक्तागण द्वारा सिविल न्यायालय में लम्बित प्रकरण की स्थिति भी तहसीलदार समक्ष प्रस्तुत की गई। तहसीलदार, कपासन द्वारा सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/उज्र पर मनन करने उपरान्त सुश्री शिवानी द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दायर करने के आवेदन को खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 02.03.2021 पारित किया। साथ ही अपीलार्थीयां का तथाकथित वसीयत के आधार पर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र रहेगी, का अंकन किया गया। तहसीलदार, कपासन के उक्त निर्णय दिनांक 02.03.2021 के विरूद्ध अपीलार्थीया द्वारा कोई अपील प्रस्तुत की गई हो या कोई वाद इत्यादि दायर किया गया, ऐसा कोई साक्ष्य अपीलार्थीया द्वारा इस न्यायालय समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि उक्त निर्णय दिनांक 02.03.2021 अंतिम निर्णय है। उक्त निर्णय दिनांक 02.03.2021 के उपरान्त प्रत्यर्थी-1 व 2 द्वारा श्री मांगीलाल के फौत होने से विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने बाबत तहसीलदार, कपासन समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रकरण संख्या 07/2021 हुए। उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए तहसीलदार, कपासन द्वारा निर्णय दिनांक 15.07.2021 से मृतक मांगीलाल के बजाय विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश प्रसाारित किया। उक्त निर्णय में सुश्री शिवानी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आवेदन व उस पर प्रसारित निर्णय दिनांक 02.03.2021 का स्पष्ट वर्णन किया गया। साथ ही सिविल न्यायालय में लम्बित प्रकरण में विवादित भूमियों की प्रकृति का उल्लेख किया गया है। जहां तक गोद जाने का प्रश्न है, इस न्यायालय समक्ष अपीलार्थीया अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही है। उक्त अंतिम निर्णय दिनांक 02.03.2021 में अपीलार्थी द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया, जिस पर तहसीलदार, कपासन द्वारा तार्किक निर्णय पारित किया और पारित निर्णय अंतिम होकर किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया। अतः इस न्यायालय समक्ष पुनः उसी वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण की दाद चाहा जाना स्वीकार्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि श्री श्यामसुन्दर द्वारा निष्पादित वसीयत अपंजीकृत होकर नोटरीशुदा है। राजस्थान भू राजस्व (लेण्ड रिकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 132 के अनुसार अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है, सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने पर ही वसीयत की वैद्यता के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही जहां वसीयती वारिस और प्राकृतिक वारिसान में विवाद हो, वहां पर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। उपरोक्त स्थिति में हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 253/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/269) **शिवानी जोशी बनाम कन्हैयालाल जोशी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ तहसीलदार, कपासन का निर्णय दिनांक 15.07.2021 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (अंजलि राजोरिया) I.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	